# प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन जिसमें आयकर विभाग में आईटी एप्लिकेशन्स की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ-प्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

हमारे निष्कर्ष अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक की गई नमूना लेखापरीक्षा पर मुख्यतः आधारित हैं।